

न्यायालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार, बनेड़ा
जिला-भीलवाड़ा

फाइल संख्या..... 20... ना.क.

अनवान

पटवार हल्का..... ब्रजम श्री
तहसील-बनेड़ा, जिला-भीलवाड़ा
जति..... निवासी
(अप्राथी)

(प्राथी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक.....

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का एवं अप्राथी उपस्थित है। सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं:-
ग्राम..... पटवार मण्डल..... तहसील बनेड़ा की
विलानाम/चक्रमह आराधी नम्बर..... में से रकबा..... बीघा पर
अप्राथी द्वारा फसल स्वी/स्वीक सस्वत..... के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिस.....
हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर शांमिल पत्रावली किया गया है।

यस तारीख पेशी पर अप्राथी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण हेतु तथ्य जिस..... कारत स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये/अप्राथी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

भूकें अप्राथी ने राजकीय विलानाम/चक्रमह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल कारत की है अतः प्राथी को अतिक्रमणी कारत देतेहुये मौके से बेदखल किये जाने एवं फसल जाब्त सारकार की जाकर निलाम किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान..... X आदेश चुले न्यायालय से सुनाया जाता है।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे। राजस्व लेखाकार के यहाँ पत्रावली में मांग कायम कराई जावे। बाद तामिल तहसील पत्रावली कैसल युगार होकर नम्बर से कम हो।

52

जन्म अवकाश वनाम मुकाम
किस्म मुकदमा प्र०स०० सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशायत्य जन्म	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसहुकम की तामील में जारी हुए
------------	-------------------------------------	---

२९/११/१९

बदरना दर्ज गस्फटर होकर ए. सि. इ
२. ५५६ का प्रशासनीय नोटिफ
कारो हो गन्तव्यो दिनांक ५/११/१९
न २०० प्री।

तहसीलदार बनेड़ा
भीलवाड़ा (राज.)

५/१०/१९

पञ्जाबी सिद्धि/सुपुर्वी
का सुनिश्चिप-इप ० सिधिया
पुष्पक से विद्यापग आकल को
जि। किम। जाकल उभिसय व
इशाल रोषक उभिसय व
कैम डी।

तहसीलदार बनेड़ा
बिला भीलवाड़ा (राज.)

१९